आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

15.4.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 233/2016–17

गणेश प्रसाद गुप्ता, पिता–हीरा लाल गुप्ता, सा0–फुलकाहा, थाना–फुलकाहा, पो0–नवाबगंज, अंचल–नरपतगंज, जिला–अररिया

बनाम

1. लीला देवी, पति–शंकर प्रसाद गुप्ता, सा0–फुलकाहा, थाना–फुलकाहा, पो0–नवाबगंज, अंचल–नरपतगंज, जिला–अररिया
2. राजेन्द्र प्रसाद यादव, पिता–पंचलाल यादव, सा0–मानिकपुर, अंचल–नरपतगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री गणेश प्रसाद गुप्ता, पिता–हीरा लाल गुप्ता, सा0–फुलकाहा, थाना–फुलकाहा, पो0–नवाबगंज, अंचल–नरपतगंज, जिला–अररिया द्वारा निम्न विवरण की भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 2089 बनाम राजेन्द्र प्रसाद यादव, पिता–पंचलाल यादव, सा0–मानिकपुर, अंचल–नरपतगंज, जिला–अररिया के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद की अनन्य सं0 407110110081600311 दाखिल किया गया, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, नरपतगंज के पत्रांक 1220, दिनांक 27.10.2016 द्वारा जमाबंदी रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 4/2016–17 (अंचल–नरपतगंज) अपनी अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	कुल रकवा	जमाबंदी सं0
नवाबगंज	185	433	513	0.0½ ए0	2089

संबंधित पक्षों को न्यायालय द्वारा सूचना दी गयी। सूचना तामिला उपरांत विपक्षी इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न हीं अपना कोई कारण पृच्छा ही दाखिल किया गया, जिससे उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि दिनांक 28.2.2001 को विक्रेता नारायण कोरैला वो ऋषिदेव प्र0 कोरैला से मौजा–नवाबगंज, थाना नं0 185, खाता सं0

433, खेसरा सं0 511, रकवा 23 डी0, खेसरा सं0 512, रकवा 3 डी0, खेसरा सं0 513, रकवा 4 डी0, खेसरा सं0 515, रकवा 75 डी0 एवं खेसरा सं0 519, रकवा 5.47 ए0 बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 1822, दिनांक 28.02.2001 द्वारा क्रय किया। जिसका नामान्तरण वाद सं0 1204/2000–01 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी सं0 1441 दर्ज हुआ और हाल तक लगान रसीद प्राप्त किया गया है।

इनका यह भी कहना है कि खेसरा सं0 513 का कुल खतियानी रकवा 4 डी0 ही है, जो पूर्व में उनके नाम से नामान्तरित होकर जमाबंदी दर्ज हो चुका है। परन्तु वाद में विपक्षी लीला देवी, पति–शंकर प्रसाद गुप्ता, सा0–फुलकाहा द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 1829, दिनांक 28.2.2001 द्वारा प्रश्नगत खेसरा सं0 513 से रकवा 0.0½ डी0 क्रय की गई और नामान्तरण वाद सं0 1050/2001–02 द्वारा दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0 4487 कायम करा लिया गया और प्रश्नगत भूमि 0.0½ डी0 को राजेन्द्र प्रसाद यादव, पिता–पंचलाल यादव, सा0–मानिकपुर को बिक्री कर दी, जिसका भी दाखिल–खारिज वाद सं0 6603/2013–14 द्वारा होकर जमाबंदी सं0 2089 पर दर्ज हो गया है। इस प्रकार एक ही जमीन का दो–दो व्यक्ति के नाम जमाबंदी दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। जबकि खतियान में मात्र 4 डी0 ही प्रश्नगत खेसरा का कुल रकवा है। जिसके कारण पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंण्डल, पूर्णियाँ को दाखिल आवेदन पर B.L.T. वाद सं0 303/2012 में आयुक्त महोदय द्वारा सीमांकन करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा अमीन से नापी कराकर उनकी 4 डी0 भूमि निकाल दी गई है।

इस प्रकार रकवा 0.0½ डी0 का दर्ज जमाबंदी सं0 2089 बिना रकवा का दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करते है।

आवेदक को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का खतियानी रकवा मात्र 4 डी0 है, जिसे आवेदक को निबंधित दस्तावेज सं0 1822, दिनांक 28.2.2001 द्वारा प्राप्त है और उसका नामान्तरण वाद सं0 1204/2000–01 द्वारा खारिज होकर जमाबंदी सं0 1441 आवेदक के पक्ष में दर्ज है। दिनांक 28.2.2001 को ही दलील सं0 1829, दिनांक 28.2.2001 द्वारा प्रश्नगत खेसरा से 0.0½ डी0 भूमि विपक्षी लीला देवी, पति–शंकर प्रसाद गुप्ता, सा0–फुलकाहा द्वारा क्रय की गई और उसका भी नामान्तरण वाद सं0 1050/2001–02 द्वारा जमाबंदी सं0 1487 उनके पक्ष में दर्ज हुआ। पुनः लीला देवी द्वारा प्रश्नगत खेसरा से क्रय पूर्ण भूमि 0.0½ डी0 को विपक्षी सं0 2–राजेन्द्र प्रसाद यादव, पिता–पंचलाल यादव, सा0–मानिकपुर के हाथ बिक्री कर दी गई, जिसका भी दाखिल–खारिज वाद सं0 6603/2013–14 द्वारा नामान्तरित होकर जमाबंदी सं0 2089 पर दर्ज है।

अंचल अधिकारी, नरपतगंज द्वारा भी अभिलेख सं0 04/2016–17 में

प्रतिवेदन/अनुशंसा की गई है कि प्रश्नगत खेसरा का कुल रकवा 4 डी0 श्री गणेश प्रसाद गुप्ता द्वारा न सिर्फ पहले क्रय की गई है, बल्कि उसका नामान्तरण भी पहले होकर जमाबंदी दर्ज हो चुका है। पुनः 4 डी0 के अलावे 0.0½ डी0 भूमि का दाखिल–खारिज विपक्षी लीला देवी को विक्रय पत्र के आधार पर होकर जमाबंदी सं0 1487 दर्ज हुआ और पुनः लीला देवी द्वारा प्रश्नगत रकवा राजेन्द्र प्रसाद यादव को विक्रय पत्र कर दिया गया और उसका भी दाखिल–खारिज वाद सं0 6603/2013–14 द्वारा होकर जमाबंदी सं0 2089 दर्ज है। इस प्रकार अनावश्यक भू–विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से वगैर रकवा का जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतएव अंचलाधिकारी, नरपतगंज के अनुशंसा तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में दर्ज जमाबंदी सं0 2089 को रद्द किया जाता है। साथ ही संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध गलत प्रस्ताव के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अंचल अधिकारी समर्पित करें।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, नरपतगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 38 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 15 / 04 /2019–

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, नरपतगंज को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 4/2016–17 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

15.6.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया